न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैंप- भोपाल

525

राजस्व पुनरीक्षण याचिका क्रं :- पी.बी.आर./ /2017-18

PBR/किरानी/हरदा/भू.रा/2017/5939 ग्राम धौलपुर कलां तह0 रहट्गांव, जिला हरदा

प्रस्तुत दिनांक :- 30/ 11 /17

याचिकाकर्तागण :-

श्री दिलीप मिश्रा अभि. द्वारा आज को प्रस्तुत किया

1 प्रमिला पत्नी विनोद किरार

2 अंगूरी पत्नी संतोष किरार

3 संतोष आ0 परसराम किरार सभी निवासी धौलपुर कलां, तह0 रहट्गांव

4 नागेश आ0 भगवंतराव गद्रे, निवासी गाँधी चौक, टिमरनी

विरूद्ध

उत्तरवादी/अपीलार्थी :-

1 गौरीशंकर आ0 रामनाथ गुर्जर

2 गणेश आ0 रामनाथ गुर्जर

3 मुकेश आ0 रामनाथ गुर्जर

4 दिनेश आ0 रामनाथ गुर्जर सभी निवासी

5 प्रेमनारायण आ0 परसराम किरार ग्राम धौलपुर कलां

पुनरीक्षण याचिका ओर से याचिकाकर्ता अंतर्गत धारा 50 व्य0 प्र0 संहिता

उपरोक्त याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, हरदा द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रं 119/अपील/वर्ष 16-17 में पारित आलोच्य आदेश दि0 18/8/17 जिसकी अनियमितता एवं अवैधानिकता से क्षुब्ध होकर यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

याचिका के तथ्य

1 यह कि, अपीलार्थी क्रं 4 नागेश एवं उसके अन्य सहभूमिस्वामियों क्रमशः जनार्दन, शशिकांत, सौ.सीमा सभी आत्मज भगवंतराव गर्दे के नामें पर भूमिस्वामी अधिकार में दर्ज भूमि खसरा क्रं 243/1में से 1.50 ए भूमि स्थित ग्राम धौलपुर कलां की पंजीबद्ध विक्रयपत्र दि0 20/5/11एवं अपीलार्थी क्रं 5 नागेश के नाम पर दर्ज भूमि खसरा क्रं 243/4 में से रकबा 0.35 ए की स्थित ग्राम धौलपुर कलां को पंजीबद्ध विक्रयपत्र दि0 20/5/11 के द्वारा उत्तरवादीगणों/ आवेदकगणों को विक्रय किया गया था। विक्रय पत्र में

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/हरदा/4939/2017 प्रमिला विरूद्ध गौरीशंकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री दिलीप मिश्रा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हरदा के प्रकरण क्रमांक 119/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18-08-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका कैम्प भोपाल पर प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर हरदा के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

30/01/19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर हरदा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर हरदा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर हरदा के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

30/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य